भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

01 MAY 2008

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 647602

ट्रस्ट डीड

हम डा० सत्यवीर आर्य पुत्र श्री ईलम चन्द आर्य, निवासी आर्य पुरम शाहपुर मुजफ्फरनगर (अध्यक्ष) सुघोष आर्य पुत्र श्री डा० सत्यवीर आर्य, निवासी 428, दक्षिणी सिविल लाईन्स, मुजफ्फरनगर (महामंत्री), श्रीमति उर्मिला सिंह पत्नि श्री डा० सत्यवीर आर्य, प्रधानाचार्या, आर्य एकेडमी शाहपुर, मुजफ्फरनगर (कोषाध्यक्ष) श्रीमति सोनिका पत्नि श्री सुघोष आर्य, निवासी 428, दक्षिणी सिविल लाईन्स, मुजफ्फरनगर, श्रीमति सुप्रिया पत्नि श्री रूपक राजा, निवासी ग्रेटर नोएडा, उ०प्र० के है। जो कि हमारी इच्छा काफी समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने तथा समाज के विभिन्न वर्गो के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान स्थापित करने की रही है। अतः हम स्वेच्छा से संयुक्त तौर पर अंकन ग्यारह हजार (11,000/-) रूपये की प्रारम्भिक पूंजी जोकि ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी से, एक ट्रस्ट की घोषणा व स्थापना करते है। जिसे सिद्धान्त व संचालन आदि के लिए निम्नलिखित प्रकार से मर्यादित व व्यवस्थित किया जाता है।

क्रमश.....2

Supriya

स्टाम्प क्रय की तिथि........ 06/5/08

स्टाम्प क्रय करने का प्रायोजन........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता....

स्टाम्प की धनराशि... 100/-

नूर मौहम्मद
स्टाम्प विक्रेता, तहसील सदर, मु0नगर
लाइसेन्स नं0- 33
लाइसेन्स अवधि:-31--3--2011 ई0

नूर मौहम्मद
स्टाम्प विक्रेता
तहसील सदर (मु0नगर)

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
11,000.00	220.00	20	240.00	800

श्री / श्रीमती डा0 सत्यवीर आर्य
पुत्र / पत्नी श्री ईलमचन्द आर्य
पेशा सेवानिवृत
निवासी स्थायी आर्यपुरम शाहपुर मु0नगर
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 6/5/2008 समय 4:44PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
6/5/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

श्री/श्रीमती डा0 सत्यवीर आर्य
पुत्र/पत्नी श्री ईलमचन्द आर्य
पेशा सेवानिवृत
निवासी आर्यपुरम शाहपुर मु0नगर

श्री/श्रीमती सुघोष आर्य
पुत्र/पत्नी श्री डा0 सत्यवीर आर्य
पेशा वकालत
निवासी 428 सि0 लां0 दं0 मु0नगर

श्री/श्रीमती उर्मिला सिह
पुत्र/पत्नी श्री डा0 सत्यवीर आर्य
पेशा नौकरी
निवासी आर्य एकेडमी शाहपुर मु0नगर

श्री/श्रीमती सोनिका
पुत्र/पत्नी श्री सुघोष आर्य
पेशा नौकरी
निवासी 428 सि0 लां0 दं0 मु0नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 647603

1. **ट्रस्ट का नाम** - आर्य सेवा ट्रस्ट

2. **कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र** - ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय 428- दक्षिणी सिविल लाईन, नुमाईश कैम्प, मुजफ्फरनगर होगा। ट्रस्ट के हित में लक्ष्य प्राप्ति के लिये प्रधान कार्यालय का भी स्थानान्तरण किया जा सकता है। भविष्य में ट्रस्ट के शाखा कार्यालय विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये जा सकते है। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र पूरा भारत वर्ष रहेगा।

3. **उद्देश्य** - इस ट्रस्ट के स्वरूप में चैरिटेबल प्रत्युपकार, निर्पेक्ष, सार्वजनिक हित व सार्वकालिक, सर्वोतोन्मुखी, शैक्षणिक विकास की उच्च दृष्टि विद्यमान है।

   (a) सम्पूर्ण भारत वर्ष में शिक्षा की सेवा ही इसका प्रथम उद्देश्य है तथा उसमें कोई जाति, वर्ण व लिंग भेद–भाव, आदि नहीं किया जायेगा।

   (b) विश्वविद्यालय, स्थानीय शासन, प्रादेशिक व केन्द्रीय एजेन्सी से सम्बद्ध निम्न/उच्च/उच्चतर शिक्षण संस्थान स्थापित कर उच्च कोटि की आधुनिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान करना।

क्रमश.....3

Subriya.

3/21

स्टाम्प विक्रय की तिथि 06/5/08

स्टाम्प धनराशि 100

शामिल नम्बर

.............किया ।
नूर मौहम्मद
स्टाम्प विक्रेता, तहसील सदर, मु०नगर
लाइसेन्स नं०- 38
लाइसेन्स अवधि-31-3-2011 ई०

नूर मौहम्मद
स्टाम्प विक्रेता
तहसील सदर (मु०नगर)

01 MAY 2008

श्री/श्रीमती सुप्रिया
पुत्र/पत्नी श्री रूपकराजा
पेशा नौकरी
निवासी गेटर नोएडा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री मौ0 इशत्याक
पुत्र श्री मौ0 इस्तफा
पेशा वकालत
निवासी सीट नं0 276 कलेक्टेट कम्पाउन्ड मु0नगर
व श्री सुरेशपाल सिह
पुत्र श्री बलजोर सिह
पेशा कृषि
निवासी पचैण्डा कंला मु0नगर
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
6/5/2008

4/21

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 647604

(c) मानव कल्याण व मानवाधिकार की रक्षा के लिये योग विद्या, वेदाध्ययन, योग व मैडीटशन सम्बन्धी अनुसंधान व उसके समस्त लाभ के लिये उसकी कक्षायें चलाना व उनकी उपयोगिता को प्रचारित करना एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये प्रौद्योगिकी केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा व समानता के सिद्धान्त से निःशुल्क उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना तथा स्कूल व कालेज सम्बन्धी व उनके विषयों को पढाना व आ रही समस्याओं का समाधान करके उनकी शिक्षण व्यवस्था कराना।

(d) ट्रस्ट की अधीन चलने वाली व अन्य सामाजिक संस्थाओं से चलने वाली शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं व सामाजिक कार्य क्षेत्र में देशकाल व पात्रता व परिस्थिति के अनुसार आर्थिक सहयोग प्रदान करना व समृद्ध बनाना।

(e) तकनीकी, गैर तकनीकी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा के लिए स्कूल, उच्चतर विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी उच्च महाविद्यालय, उच्चतर प्रौद्योगिक विद्यालय व कॉलेज व वाचनालय तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। सैद्धान्तिक व प्रयोगात्मक कक्षाओं को चलाना व उनका प्रचार व प्रसार करना तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान व उससे सम्बन्धित कार्य क्षेत्रों को देखना व उन पर आवश्यक निर्णय लेना व समाज के कल्याणार्थ सेवाऐं प्रदान करना।

क्रमश.....4

Supriya.

3

स्टाम्प विक्रय की तिथि........6/5/08
स्टाम्प धनराशि........100
शामिल नम्बर........
..........किया । नूर मौहम्मद
स्टाम्प विक्रेता, तहसील सदर, मु०नगर
लाइसेन्स नं०- 38
लाइसेन्स अवधि-31-3-2011 ई०

नूर मौहम्मद
स्टाम्प विक्रेता
तहसील सदर (मु०नगर)

न्यासी

Registration No.: 103 Year : 2008 Book No. : 4

0101 डा0 सत्यवीर आर्य

ईलमचन्द आर्य

आर्यपुरम शाहपुर मु0नगर

सेवानिवृत

0102 सुघोष आर्य

डा0 सत्यवीर आर्य

428 सि0 लां0 दं0 मु0नगर

वकालत

0103 उर्मिला सिह

डा0 सत्यवीर आर्य

आर्य एकेडमी शाहपुर मु0नगर

नौकरी

0104 सोनिका

सुघोष आर्य

428 सि0 लां0 दं0 मु0नगर

नौकरी

6|21

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 647605

(f) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति व सामाजिक उत्थान के लिए वाचनालय, बोर्डिंग हाउस, स्टेडियम, स्पोट्स संस्थान, स्थापित करना, व सारी व्यवस्थाऐं चलाना।

(g) सद्विवेक उद्बोधन प्रक्रियायें आस्था केन्द्र स्थापित करना तथा देश प्रेम के प्रति रूचि जागृत करना।

(h) शिक्षा क्षेत्र एवं संस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने वाली राष्ट्र उपयोगी योजनायें संचालित करना।

(i) रोजगारोन्मुख कार्यों के अन्तर्गत प्रशिक्षित पुरूषों/महिलाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान कराने हेतु जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।

(j) अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ग्रामीण वाचनालय/पुस्तकालय, बागबाडी/आंगनबाडी संचालन, वैकल्पिक ऊर्जा के कार्यक्रम, कौशल विकास के शिविर, शैक्षणिक भ्रमण, कानूनी सलाह आदि कार्यों का संचालन करना।

(k) महिलाओं एवं पुरूषों में नियमित खेलकूद की भावना जागृत करना एवं वैदिक संस्कृति को जन–जन के बीच पहुंचाने हेतु सांस्कृतिक प्रतियोगिताऐं, नाट्य शिविरों एवं योग शिविरों आदि का आयोजन करना।

क्रमश.....5

Supriya

(7/21)

(4)

स्टाम्प विक्रय की तिथि........06/5/8
स्टाम्प धनराशि........100/
प्राप्तिकर्ता ....
..........जिला।
नूर मौहम्मद
स्टाम्प विक्रेता, तहसील सदर, मु०नगर
लाइसेन्स नं०- 38
लाइसेन्स अवधि-31-3-2011 ई०

नूर मौहम्मद
स्टाम्प विक्रेता
तहसील सदर मु०नगर

न्यासी

Registration No.: 103 Year : 2008 Book No. : 4

0105 सुप्रिया

रूपकराजा

गेटर नोएडा

नौकरी

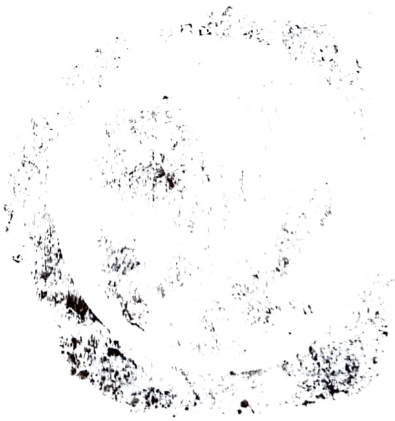

(8/21)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 647606

(l) राष्ट्रीय विकास कार्यों में भागीदारी हेतु प्रतिरक्षा अभियान, परिवार कल्याण, जनसंख्या शिक्षा, श्रमदान एवं स्थानीय योजनाओं के प्रति जानकारी एवं जनचेतना उत्पन्न करना।

(m) सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु संस्था द्वारा बाल विवाह, नशाखोरी, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा आदि के बारे में गोष्ठियों का आयोजन करना।

(n) पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ों की सुरक्षा, वृक्षारोपण, धूम्ररहित चूल्हे एवं सोलर कूकर का प्रचार–प्रसार, सुलभ शौचालयों का निर्माण, वृद्धावस्था आश्रम का निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर अनुसंधान, विकलांग आश्रम, अनाथ आश्रम, कुष्ठ आश्रम का निर्माण, गौ वंश सम्वर्धन हेतु गौशाला का निर्माण एवं गौ पालन, पंच गव्य पर अनुसंधान कार्यक्रम व उनका प्रचार प्रसार, वनौषधि सम्वर्धन, उसकी नर्सरी, प्रस्करण एवं अनुसंधान कार्बनिक फार्मिंग एवं स्वच्छ पेयजल योजना आदि कार्यक्रम संचालित करना।

(o) ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा, उच्च शिक्षा व निम्न शिक्षा के लिये शिक्षा पीठ/विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकता है तथा उच्च व उच्चतर शिक्षा के प्रसार के लिये तथा उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिये विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित नई तकनीकी व बेसिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था कराने के लिये उनके कोर्सों की फ्रेंचाई ले सकेगा तथा लक्ष्य की उपलब्धि की दृष्टि से अपने पाठ्यक्रम की परीक्षायें भी आयोजित कर सकेगा। राजकीय स्वीकृति एवं मान्यता एतदर्थ प्राप्त कर सकता है।

क्रमश.....6

Subriya.

(3)

स्टाम्प विक्रय की तिथि 06/5/08

स्टाम्प धनराशि 100/-

शामिल नम्बर

किया ।

नूर मौहम्मद

स्टाम्प विक्रेता, तहसील सदर, मु०नगर

लाइसेन्स नं०- 38

लाइसेन्स अवधि-31-3-2011 ई०

नूर मौहम्मद

स्टाम्प विक्रेता

तहसील सदर (मु०नगर)

10/21

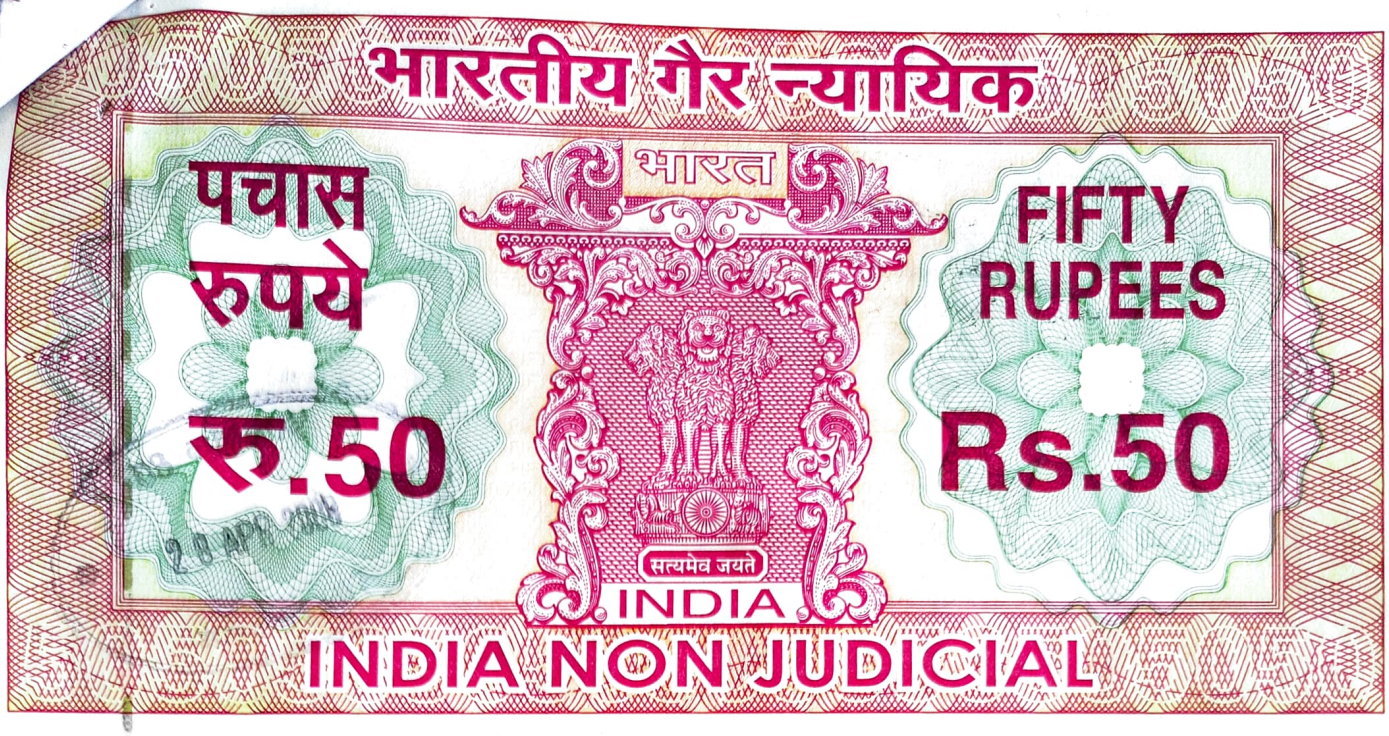

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -6- F 432580

4. **सम्पत्ति** - संस्थापक ट्रस्टीयो द्वारा प्रदत्त अंकन 11,000/- रूपये प्राथमिक सम्पत्ति है। इस राशि में भविष्य में जो चल व अचल सम्पत्ति के तौर पर वृद्धि होगी, वह ट्रस्ट की सम्पत्ति कही जायेगी। यह वृद्धि ट्रस्ट के उद्देश्य प्राप्त करने के लिये क्रय व विक्रय से, ब्याज, चंदे, किराये, उपहार, अनुदान शुल्क आदि के द्वारा व सशर्त निधि के द्वारा सहमति से प्राप्त की जा सकती है। सम्पत्ति बनाये गये उपनियमों के अन्तर्गत, उद्देश्यों के अनुसार मुख्य ट्रस्टियों (संस्थापकों) के विवेकानुसार लाभार्थियों पर व्यय की जायेगी। अचल सम्पत्ति का दृष्टिकोण भी चल सम्पत्ति जैसा माना जायेगा।

5. यह कि ट्रस्ट द्वारा स्थापित शिक्षालयों, संस्थानों का संचालन व्यवस्था इसी ट्रस्ट के द्वारा सीधे की जायेगी अथवा ट्रस्ट उनके लिये समितियां भी नियुक्त कर सकेगा तथा उन समितियों के अधिकार व कर्तव्य व नियम आदि भी निर्धारित करेगा।

6. **ट्रस्ट का संचालन** - ट्रस्ट की समग्र व्यवस्था तथा संचालन के लिये एक बोर्ड आफ ट्रस्टीज होगा जिसमें पांचों संस्थापकों सहित अधिकतम 21 व न्यूनतम 7 ट्रस्टी होंगे। पांचों संस्थापक आजीवन मुख्य ट्रस्टी होंगें परन्तु यदि संस्थापक ट्रस्टी चाहें तो अन्य आजीवन मुख्य ट्रस्टी बढाये जा सकते है तथा उनके अधिकार एवं कर्तव्य पाँचों संस्थापक ट्रस्टी सहमति से तय करेंगे। प्रथम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज निम्न प्रकार होगा जिसमें पांच संस्थापक ट्रस्टीयों के अलावा तीन ट्रस्टी निम्न प्रकार होंगे जिन्होंने अपनी स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

क्रमश.....7

Supriya.

(6)

06/5/8

... विक्रय की तिथि 5/12

स्टाम्प धनराशि 1

शामिल बस्तर ....

........किया । नूर मौहम्मद

स्टाम्प विक्रेता, तहसील सदर, मु०नगर

लाइसेन्स नं०- 38

लाइसेन्स अवधि-31-3-2011 ई०

नूर मौहम्मद
स्टाम्प विक्रेता
तहसील सदर (मु0नगर)

(12/21)

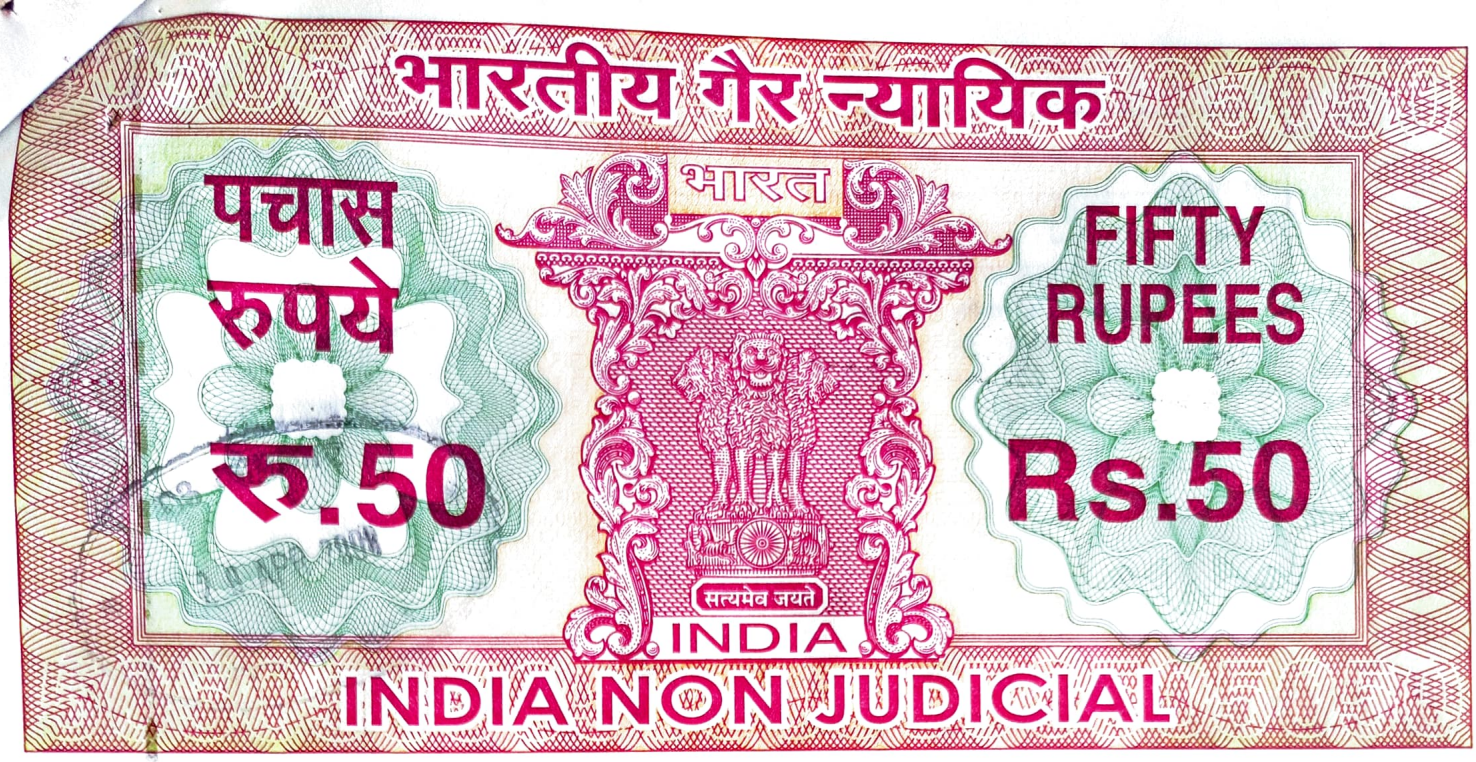

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -7- F 432581

1. श्री राजकुमार वर्मा, पुत्र स्व० श्री लाल सिंह निवासी ग्राम गढी देशराज, मुजफ्फरनगर।

2. श्री मनमोहन सिंह, पुत्र श्री जन्म सिंह निवासी, 9- नगर पालिका क्वार्टर, निकट कम्पनी बाग, मुजफ्फरनगर।

3. श्री देवेन्द्र सिंह, पुत्र स्व० श्री हरि सिंह, निवासी 172, आदर्श कालोनी, मुजफ्फरनगर।

7. **ट्रस्टी दो प्रकार के होंगे** - आजीवन ट्रस्टी व साधारण ट्रस्टी। पांचों संस्थापक आजीवन ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा शेष नियुक्त ट्रस्टी साधारण ट्रस्टी होंगे। आजीवन अर्थात मुख्य ट्रस्टियों को छोडकर सभी ट्रस्टियों के अधिकार व कर्तव्य सामान्य होंगे और उनका कार्य ट्रस्ट की व्यवस्था व संचालन में मुख्य ट्रस्टियों का हाथ बटाना होगा।

8. **ट्रस्टी का कार्यकाल** - मुख्य ट्रस्टियों को छोडकर अन्य सभी ट्रस्टियों का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा। ट्रस्ट की स्थापना के आरम्भ में यह अपवाद रहेगा कि प्रथमतः नियुक्त किसी भी ट्रस्टी का कार्यकाल पाँच वर्ष हो सकता है। मुख्य ट्रस्टियों की सहमति से ट्रस्टियों का कार्यकाल बढाया जा सकता है तथा नये ट्रस्टी नियुक्त किये जा सकते हैं परन्तु मुख्य ट्रस्टियों का विवेकाधिकार व सहमति अन्तिम होगी।

9. संस्थापकों, जो कि आजीवन मुख्य ट्रस्टी रहें, को पूर्ण अधिकार व क्षेत्राधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के निर्णयों व प्रस्तावों का समर्थन करने तथा विरोध का विशेषाधिकार रहेगा और उनका निर्णय अन्तिम रहेगा।

क्रमश.....8

Subriya.

(13121)

7

स्टाम्प विक्रय की तिथि 06/5/18

स्टाम्प धनराशि 50/-

शामिल नम्बर 1

किया । नूर मौहम्मद

स्टाम्प विक्रेता, तहसील सदर, मु०नगर

लाइसेन्स नं०- 38

लाइसेन्स अवधि 11-3-2011 ई०

नूर मौहम्मद

स्टाम्प विक्रेता

तहसील सदर (मु०नगर)

14/21

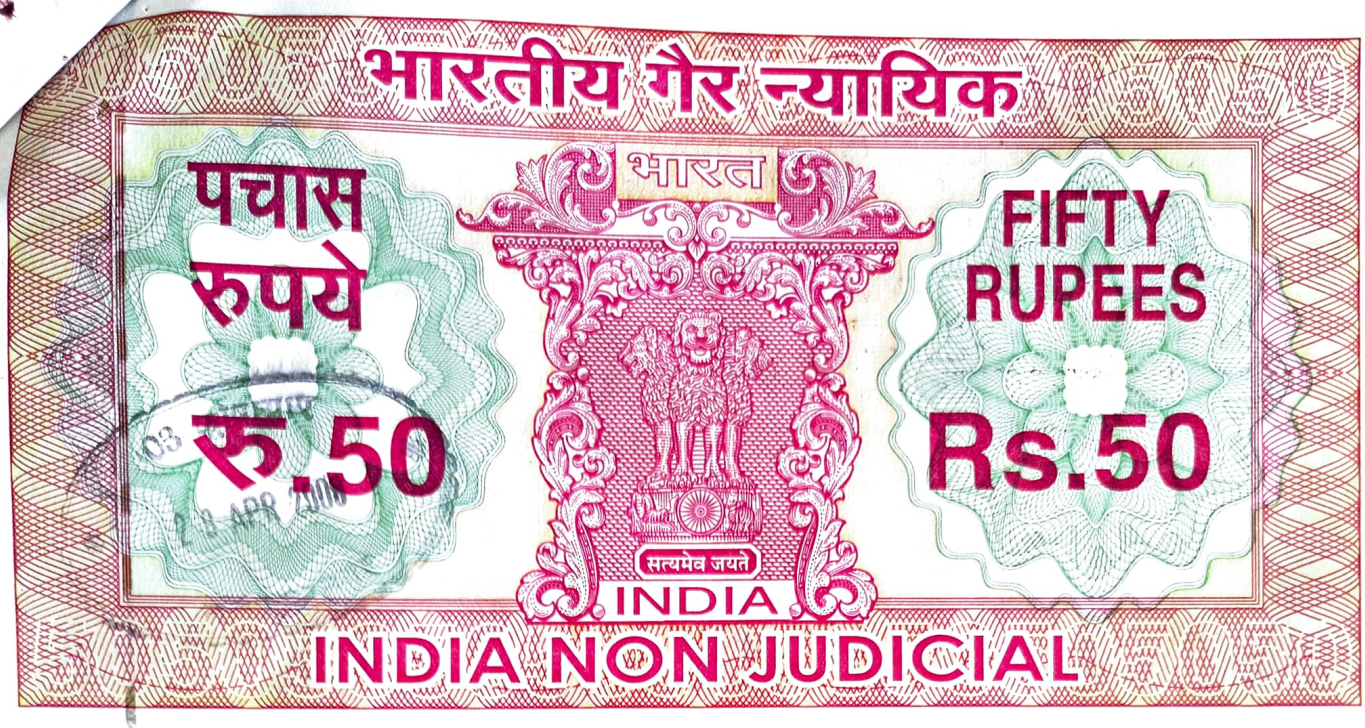

10. बैठकों का प्रधान तथा उनका संचालन क्रमशः अध्यक्ष व महामंत्री होंगे। यदि मुख्य ट्रस्टीज किसी कारण से बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ है तो उस दशा में मुख्य ट्रस्टियों के स्थान पर उनके द्वारा नामित ट्रस्टी बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे तथा निर्णय लेकर मुख्य ट्रस्टियों से सहमति प्राप्त करके कार्य को सुचारू रूप से चलाते रहने में मदद करेंगे।

11. ट्रस्ट व उसके द्वारा स्थापित संस्थाओं व विभिन्न कार्यों के सफल संचालन के लिये मुख्य ट्रस्टी अपने विवेक से समिति/उपसमिति का गठन कर सकते है तथा उसे भंग कर सकते है। नियुक्त समिति अपने कार्य के लिये सीधे तौर पर मुख्य ट्रस्टियों के प्रति जवाबदेह होगी।

12. ट्रस्ट अथवा समिति के लिये बुद्धिमान सद्भावी अनुशासनप्रिय सहयोगी मनोवृत्ति वाले सेवा परायणविज्ञ तथा परम सत्य को मानने वाले सदस्य ही लिये जायेंगे।

13. बोर्ड आफ ट्रस्टी में बैठक में उपस्थित ट्रस्टीज का बहुमत का तीन बटा चार मान्य होगा जिसको अनुमोदन मुख्य ट्रस्टियों से कराया जाना आवश्यक होगा जिस पर मुख्य ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते है।

14. मुख्य ट्रस्टियों को व्यक्तिगत उत्तराधिकार प्राप्त होगा अर्थात वह वसीयत द्वारा या अपने जीवन काल में अपने स्थान पर किसी भी उचित व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा। इस सम्बन्ध में अन्य ट्रस्टी अथवा मुख्य ट्रस्टी कोई विवाद या आपत्ति नहीं कर सकेंगे। नये मुख्य ट्रस्टी को जीवित मुख्य ट्रस्टी के बराबर ही अधिकार होंगे। वसीयत न होने की दशा में उत्तराधिकार प्रथमतः पत्नी, उसके बाद ज्येष्ठ पुत्र तथा उसके बाद पुत्री को प्राप्त होगा।

क्रमश.....9

15/21

Subriya.

(8)

06/5/18

नूर मौहम्मद
स्टाम्प विक्रेता
तहसील सदर (मु०नगर)

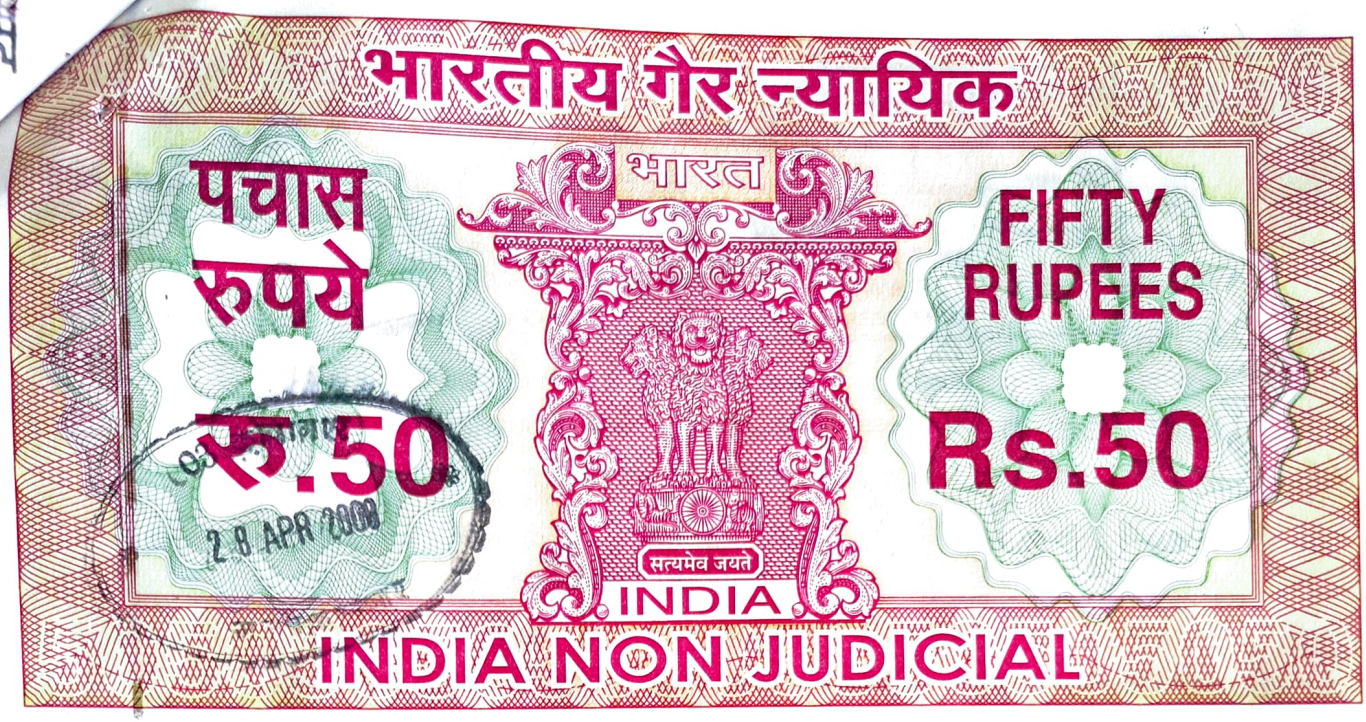

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH F 432584

18. ट्रस्ट कोई व्यवसायिक कार्य ट्रस्ट के हित में देश काल, पात्र, परिस्थितियों के अनुसार कर सकता है।

19. ट्रस्ट की आय व व्यय का पूरा ब्यौरा रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होगी।

20. ट्रस्ट की धनराशि को सार्वजनिक बैंकों में जमा कराया जायेगा तथा अन्य प्रतिभूतियों में भी रखा जा सकता है। सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत जैसा समयानुसार आवश्यक हो आर्य सेवा ट्रस्ट के लिये, धन की व्यवस्था व लेन–देन मुख्य ट्रस्टी (संस्थापक) अपने विवेक से करेंगे। जो भी धनराशि जहां जमा होगी उसको अध्यक्ष व महामंत्री अपने संयुक्त हस्ताक्षरों से निकाल सकेंगे।

21. ट्रस्ट की धनराशि किसी विश्वविद्यालय औद्योगिक संस्था या फर्म आदि में ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार यदि उचित हो तथा उनका विनियोजन करना आवश्यक हो तो ऐसा किया जा सकता है। मुख्य ट्रस्टी अपने संयुक्त निर्णय व सहमति से ऐसा कर सकेंगे। एकल अधिकार नहीं होगा तथा इसकी सहमति एक सप्ताह में अन्य न्यासियों की मीटिंग बुलाकर उसे पास करा लेंगे।

22. किसी कारणवश ट्रस्टीगण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ट्रस्ट की संचालन व व्यवस्था में ट्रस्टीगण व आजीवन ट्रस्टीगण कारगर नहीं हो पा रहे हैं अथवा कोई अपनी मजबूरी हो अथवा कोई काननून स्थिति बने उस दशा में स्थायी न्यासियों व उस समय के न्यासियों को यह अधिकार होगा कि वे इस ट्रस्ट को सक्रिय व योग्य व्यक्ति को उप ट्रस्टी बनाकर एक निश्चित समय के लिये कार्य चलवायें।

क्रमश.....11

19/21

Supriya.

(10)

स्टाम्प विक्रय की तिथि....06/5/18

स्टाम्प धनराशि....50/-

क्रमिक नम्बर....

....विक्रय । नूर मौहम्मद
स्टाम्प विक्रेता, तहसील सदर, मु०नगर
लाइसेन्स नं०- 28
लाइसेन्स अवधि-31-3-2011 ई०

23.

नूर मौहम्मद
स्टाम्प विक्रेता
तहसील सदर (मु0नगर)

20/21

23. किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता होने पर या आजीवन न्यासियों की सहमति व अन्य न्यासियों की राय के अनुसार मुख्य ट्रस्टी/न्यासियों को यह अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट की सम्पत्ति ट्रस्ट के हित में, ट्रस्ट के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये विक्रय कर सकते है, किराये पर दे सकते है अथवा उसका तबादला कर सकते है अथवा उसे खाली करा सकते है। यदि आवश्यक हो विनियोजित व स्थायी सम्पत्ति का विक्रय भी किया जा सकेगा। मुख्य ट्रस्टी की सहमति व हस्ताक्षरों से ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये भूमि भवन आदि अचल सम्पत्ति कभी भी क्रय विक्रय की जा सकती है। सम्पत्ति क्रय करने की दशा में अध्यक्ष एवं महामंत्री किसी एक के हस्ताक्षर पर्याप्त होंगे।

24. यदि धारा–3 में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति किसी कारणवश नहीं की जा सकती और उसका आगे क्रियान्वयन किया जाना सम्भव नहीं रह गया है और ट्रस्टी (संस्थापक) उद्देश्य की प्राप्ति में समय नहीं दे रहे हैं अथवा कोष के संसाधन समाप्त हो गये हैं और मामला किसी कानूनी क्रियाओं में अथवा वाद में फस गया हो तो उस विपरीत स्थिति में मौजूदा ट्रस्ट को समाप्त किया जा सकता है अथवा उसका विलय अन्य ट्रस्ट में किया जा सकता है।

25. यह कि ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक अपनी सेवायें अथवा धन अथवा सम्पत्ति देना चाहता है परन्तु उद्देश्य की प्राप्ति की भावना विपरीत न हो तो अनुकूल शर्तों के अधीन उसकी सम्पत्ति धन व सेवायें ली जा सकती हैं और यदि वह सशर्त है तो उनको वापस भी किया जा सकता है और उनका ब्याज भी यदि देय हो तो ऐसा किया जा सकता है।

26. आजीवन ट्रस्टीगणों (संस्थापकों) को यह अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट अथवा शिक्षा समिति द्वारा नियुक्त किसी भी शिक्षक/अध्यापिका/शिक्षार्थी या कर्मचारी चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो को अनुशासनामक कार्यवाही के अन्तर्गत विद्यालय से निष्कासित कर दें तथा आरोप को प्रमाणित करने का कोई दायित्व आजीवन ट्रस्टी (संस्थापक) का न होगा।

27. सभी प्रकार के विवादों के लिये क्षेत्राधिकार जनपद मुजफ्फरनगर में होगा।

Subziya.

क्रमश.....12

21/21

28. न्यास में जो भी कार्य करेंगे वह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समर्पण की भावना से दिया गया कार्य माना जायेगा तथा उस पर रोजगार आदि कानून लागू नहीं होंगे क्योंकि ट्रस्ट सर्वाथ हितार्थ की भावना से तथा मिले हुए चंदे, दान व सशर्त मिली अनुदान निधि पर आधारित है, क्योंकि यह कोई सार्वजनिक संस्था व व्यापारिक केन्द्र नहीं है।

Supriya.

साक्षी MOHAMMAD ISHTYAQ (ADVOCATE)

साक्षी [illegible]

तहरीर तारीख 06-05-2008

ड्राफ्टकर्ता – श्रीपाल सिंह दस्तावेज लेखक तहसील सदर मुजफ्फरनगर

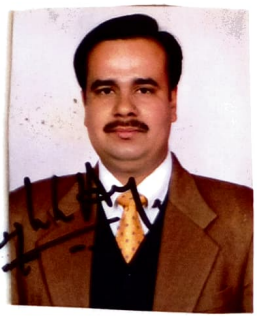

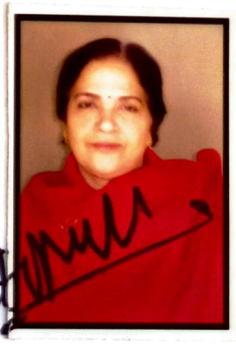

23/21